खण्ड – 5 संख्या – 17

बिहार विधान–सभा वाद–वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

भाग –1

(कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि 12 सितम्बर, 1986 ई०

था। खण्ड 3 के जवाब में कहा हैं कि कार्मिक विभाग का पत्र आया। उसके पहले ही हमलोग उन्हें नियमित कर चुके थे और 11–9–85 को पत्र आया था और हमलोग ने 2–5–85 को ही नियुक्त कर दिया था।

आदेश रद्द करने का औचित्य :

2425. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही हैं कि बिहार राज्य निर्माण निगम के अधीन लगभग 1,200 कर्मचारी दैनिक पारिश्रमिक पर वर्ग–3 और वर्ग–4 के विभिन्न पदों पर विगत सात वर्षों से लगातार कार्यरत हैं;

2. क्या यह बात सही हैं कि उपर्युक्त कर्मचारियों की सेवा नियमित करने हेतु तत्कालीन श्रम मंत्री की अध्यक्षता में श्रम विभाग के पत्रांक 1602, दिनांक 28 जुलाई 1981 के द्वारा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि एवं प्रबंधन के बीच समझौता हुआ था;

3. क्या यह बात सही हैं कि प्रबंधन के पत्रांक 3255, दिनांक 28 दिसम्बर 1983 के द्वारा कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवा नियमित की जानी हैं और इसी आलोक में प्रमाण–पत्र की जाँच तथा गृह पते पर पुलिस जांच भी की जा चुकी हैं;

4. क्या यह बात सही हैं कि प्रबंधन अपने पत्रांक 917, दिनांक 22 फरवरी 1984 के द्वारा लगभग 627 कर्मचारियों की सेवा

नियमित कर पुनः एक हफ्ते बाद अखबार में विज्ञापन देकर उस आदेश को रद्द कर दिया;

5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उपर्युक्त समायोजन संबंधी आदेश को रद्द करने का क्या औचित्य हैं, तथा सरकार उक्त दैनिक कर्मचारियों की सेवा नियमित करने का विचार रखती हैं, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : 1. उत्तर स्वीकारात्मक हैं ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक हैं । श्रम मंत्री, सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि निगम के अध्यक्ष एवं अधिकारी तथा निगम के मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ प्रतिनिधियों के बीच दिनांक 27–7–81 को बातचीत तो हुई थी पर समझौता नहीं हुआ था ।

3. उत्तर अस्वीकारात्मक हैं। पत्रांक 3255 दिनांक 28–12–83 एक व्यक्ति विशेष श्री विजय कुमार सिंह (सहायक अभियन्ता) के सेवा–वृतांत से संबंधित हैं ।

4. कर्मचारियों द्वारा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक का घेराव कर बल–पूर्वक 6–7 कर्मचारियों की सेवायें नियमित स्थापना में समायोजित कराया गया जिसे बाद में रद्द घोषित किया गया। इसके विरुद्ध कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दायर किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया।

5. समायोजन संबंधी आदेश कर्मचारियों द्वारा बल–पूर्वक कराया गया था इसलिये रद्द किया गया। कार्यभार की कमी एवं

वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण निगम द्वारा सभी शेष कर्मचारियों को तत्काल समायोजन करना संभव नहीं हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार सदन में गलत तथ्य को रखते हुए, गुमराह कर रही हैं। हमारे हाथ में श्री हरिश्चन्द्र मिश्र, संयुक्त श्रमायुक्त का पत्र हैं। उन्होंने लिखा हैं कि बिहार राज्य निर्माण निगम के दैनिक वेतन–भोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित किये जाने के संबंध में हैं। सरकार ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ हैं और हमारे पास कागज हैं जिसमें बातचीत के तहत श्रम मंत्री के कक्ष में समझौता हुआ था जिसमें उपस्थित थे प्रबंध निदेशक, जिसमें उपस्थित थे विशेष सचिव, सिंचाई विभाग और उन सबों का हस्ताक्षर हैं और उसमें कहा गया था कि कॉरपोरेशन द्वारा 800 दैनिक वेतन–भोगी कर्मचारियों का नियमित करने का निर्णय लिया गया। श्रम विभाग के संयुक्त श्रमायुक्त, श्री हरिश्चन्द्र मिश्र ने प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन को पत्र लिखा नियमित करने के संबंध में, यह हुआ 1981 में, जो फैसला हुआ था, जो समझौता हुआ था कि डेढ़ वर्ष के भीतर सभी जो दैनिक वेतन–भोगी कर्मचारी हैं उनको नियमित कर लिया जायेगा और फिर 1983 में समझौता हुआ। अध्यक्ष महोदय, 1981 वाला समझौता कार्यान्वित नहीं हुआ तो फिर 1983 में हुआ, सभी लोग मौजूद थे और समझौता हुआ कि सेवा को नियमित कर लिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, 7–8 वर्षों से दैनिक वेतन–भोगी के रुप में बंधुआ मजदूर के रुप में रखे हुए हैं सरकारी महकमे में, इसमें

सरकार को क्या कहना हैं, सरकार कह रही हैं कि समझौता के कार्यान्वयन का जो प्रकाशन हुआ, जो आदेश हुआ नियमित करने का वह दवाब देकर किया, इसका क्या आधार हैं, जो सरकार कह रही हैं कि यह दवाब देकर हुआ ?

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे माननीय विधायक महोदय, ने कहा कि 27–1–81 को एक विचार विमर्श हुआ था, जिसमें हमारे श्रम मंत्री महोदय, हमारे विभाग से सिंचाई आयुक्त, निगम के अध्यक्ष मौजूद थे, कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी मौजूद थे लेकिन उस मीटिंग में कोई समझौता नहीं हुआ था, वार्तालाप हुई थी, जिसमें निगम के अध्यक्ष ने बतलाया था कि निदेशक के ------

श्री रघुनाथ झा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं। व्यवस्था का प्रश्न यह हैं कि हमारे माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा हैं कि कोई समझौता नहीं हुआ और माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने लेटर नम्बर दिया जिसके तहत यह समझौता हुआ था कि 800 कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा, उसका उल्लेख करते हैं, लेटर नम्बर बतला रहैं हैं। उस लेटर नम्बर को हुजूर कुछ देख रहैं थे, उस समय आप नहीं सुन सके। दोनों की बातों में कोई मेल नहीं होता हैं और इसलिए इसमें हुज़ूर की व्यवस्था चाहिए, वे उत्तर दे रही हैं कि ये बातें नहीं हुई थीं और माननीय सदस्य इसका स्पष्ट रुप से सवूत दे रहैं हैं ।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : दो–दो समझौता का कागज साक्षी हैं।

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : हमारे पास कागज जो हैं वह भी साक्षी

हैं कि यह समझौता नहीं हुआ था सिर्फ वार्तालाप हुई थी। जिस पत्र का जिक्र किया गया हैं उसके संबंध में मैं बतलाना चाहती हूँ कि निर्माण निगम में 1600 कर्मचारी हैं, उनके संबंध में यह निर्णय लिया गया कि 800 को नियमित करने की कार्रवाई की जाय और 800 कर्मचारियों को जिन्हें निर्माण निगम नियमित करने के लिए सक्षम नहीं हैं आर्थिक अभाव के कारण, उसी मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं उन्हें अन्य विभागों में भेज दिया जाय ताकि अन्य विभागों में उनका समायोजन किया जा सके।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, दोनों समझौता 1981 का और 1983 का, हम आपके सामने उसका कागज दिखा देंगे, उसपर सभी लोगों का हस्ताक्षर हैं, जो अधिकारी मौजूद थे, प्रबंधन की तरफ से और कामगार के प्रतिनिधि सभी का उसपर हस्ताक्षर हैं। अध्यक्ष महोदय, उसे मैं आपकी सेवा में रखूंगा, तो फिर समझौते के कार्यान्वयन जब हुआ और आदेश निर्गत हो गया उसके बाद सरकार और कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन ने अखबार में विज्ञापन निकालकर कहा कि दबाव में हमने आदेश निकाला था। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि 1981 और 1983 के समझौते के कार्यान्वयन की जो संचिका हैं, उसमें अधिकारियों ने, सभी अधिकारियों ने अनुकुल टिप्पणी दी।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार का

यह कहना कि दवाब डालकर यह किया गया तो इसका क्या प्रमाण हैं, क्या सबूत हैं? सरकार कैसे कह रही हैं कि यह जबर्दस्ती हुयी हैं, जबर्दस्ती का कोई प्रमाण हैं सरकार के पास ?

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : अध्यक्ष महोदय, 22–2–84 को अमान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ ने प्रबन्ध निदेशक को घेराव कर लिया, आधी रात्रि तक लोगों ने घेरे रखा था और 627 लोगों को समायोजित करने के लिये बलपूर्वक हस्ताक्षर कराया और इस प्रकार ....

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या यह बात सही हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का ऑफिस और उस जगह का थाना की दूरी 10 डेग की हैं, क्या यह बात सही हैं? थाना के करीब जबर्दस्ती की बात कैसे कह रही हैं?

अध्यक्ष : कहना क्या चाह रहें हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार ने, कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने समझौता के तहत् फैसला ले लिया, आदेश निर्गत कर दिया और बाद में सिंचाई विभाग की तरफ से यह हुआ कि ऐसे ही कैसे कर दिया? इसमें कुछ लेन–देन होता तब यह होता और तब यह फैसला रद्द किया गया। अध्यक्ष महोदय, इनको दूसरे विभाग भी नहीं ले रहा हैं ....

अध्यक्ष : आप बैठ जायं ।

श्री कर्पूरी ठाकुर : समझौता हुआ या नहीं हुआ–सुप्रीम कोर्ट की

बात मैं रख रहा हूँ। क्या यह बात सही हैं कि रिट पेटीशन–ए0 आई0 आर0 अप्रील 86 एस0 सी0 –रिट पेटीशन (सिविल) नम्बर्स 59–60 समत 563–70 ऑफ 1983 में दिनांक 17–1–1986 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया हैं कि .....

"We allow both the writ petitions and direct respondents, as in the petitioners and all other daily wages employees, the samesalary and allowances as are paid to regular and permanent employees with effect from the date when they were respectively employed. The respondents will pay to each of the petitioners a some of rupees 1000/- towards their costs. We also record our regret that many employees are kept in service on a temporary daily wage basis without their services being regularise. We hope that the Govt. will take approriate action to regularised the services of all those who has been continuous employment for more that six months."

क्या यह बात सही हैं या नहीं?

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री कर्पूरी ठाकुर : इसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हैं, मानना हैं सरकार को, इसमें समझौता हुआ हो या नहीं हुआ हो, यह सवाल पैदा नहीं होता हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ हैं, उसकी बात मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन की

बात मैं उठा रहा हूँ, मैंने जजमेंट कोट किया, केस नम्बर दिया हैं, तिथि दी हैं, सरकार यह बतलाये कि उसने क्यों नहीं ऐसा किया ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : किसी दूसरे केस में जजमेंट हुआ होगा, इससे इसका कोई मतलब नहीं हैं ।

श्री कर्पूरी ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने जो दो जजमेंट दिया हैं, वह क्रांतिकारी निर्णय दिया हैं, पहला एशियाड के समय में कांट्रेक्ट लेवर के बारे में जो क्रांतिकारी निर्णय दिया वह न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व ने सराहा हैं, यह निर्णय लेबर मूवमेंट के बारे में था और दूसरा डेली वेजेज इम्पलाईज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हैं और यह जजमेंट लागू हैं हिन्दुस्तान के हर राज्य में, यूनियन गवर्मेंट में यह लागू हैं, सभी राज्य सरकारों में लागू हैं और मैं कहता हूँ कि समझौता हुआ हैं और माननीय मंत्री इसको मानने से इनकार कर रही हैं। मैं जजमेंट कोट कर रहा हूँ, इस जजमेंट के रहते हुये सरकार को करना हैं। सरकार ने क्यों नहीं किया? इस जजमेंट के बाद भी? आप बतलायें ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सामान्य रुप से जितनी रिक्तियां थीं, जैसा कि राज्यमंत्री ने कहा हैं, नियमित करने की बात की हैं और हम करेंगे, लेकिन रिक्ति हमारी नहीं हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार भी हमारी लाचारी होगी, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर सब जगह लागू होगा तो उन पदों पर लागू होगा जो नियमित

ढंग से क्रिवेटेड हैं और भेकेंसी रहें। अगर रिक्ति हैं तो उस लिहाज से करेंगे। इसमें हमारे जानते स्पष्ट रुप से राज्यमंत्री ने जवाब दिया हैं कि जो लोग नियमतः काम नहीं कर रहें थे, उनको रखने में बहुत दिक्कत हैं इसलिये कि अगर वे पद खाली नहीं हैं तो, अगर पद रिक्त हैं तो रखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने दवाब देकर करा लिया और माननीय सदस्य, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि बगल में पुलिस थी तो रघुवंश बाबू पुलिस से गोली चला सकते हैं, लेकिन हम नहीं चला सकते हैं, यह हमारी दिक्कत थी। हमलोगों ने पुलिस का इस्तेमाल इसलिये नहीं किया वह आपके (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह एवं उनके दल) के लिये छोड़ दिया हैं।

(शोरगुल)

श्री कर्पूरी ठाकुर : मेरा यह पूछना हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना हैं कि छः महीना तक यदि कोई आदमी को टैम्पोरेरी इम्पलाइमेंट मिलता हैं, डेली वेजेज पर रखते हैं तो 6 महीना के बाद रेगुलराईज्ड करना हैं, सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना हैं कि डेली वेजेज पर वे जब तक हैं तब तक उनको वही सैलरी और एलाउऐंसेज़ देना हैं, पैसा देना हैं जो रेगुलर इम्पलाईज को मिलता हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब वे 6 महीना से लगातार डेली वेजेज पर काम कर चुके हैं, तो उनकी सेवा को आपने रेगुलराईज्ड क्यों नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वही सैलरी और वही भत्ता भुगतान किया या नहीं जो रेगुलर इम्पलाईज को किया गया हैं? खास तौर पर मैं साफ–साफ जानना चाहता हूँ ?

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : मैंने बतलाया कि कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन.

श्री कर्पूरी ठाकुर : जंगल का राज्य हैं, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन नहीं हो रहा हैं।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : मा0 सदस्य, श्री उमाधर सिंह ।

श्री कर्पूरी ठाकुर : मैंने साफ–साफ पूछा हैं। 6 महीना के बाद आपको रेगुलराईज्ड करना हैं तो, आपने क्यों नहीं किया ? सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्हें वही सैलरी और एलाउऐंसेज देना हैं जो रेगुलर इम्पलाईज को देते हैं, आपने क्यों नहीं दिया इन लोगों को?

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्षी दल के नेता महोदय ने जो सूचना दी हैं वह सही हो सकती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऐसी संस्था हैं जो काम करती हैं, उसको जो प्रोफिट होता हैं, उसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन आदि का भुगतान किया जाता हैं। जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें जितना वेतन निर्धारित हैं, मिला हैं, लेकिन उनकी मजबूरी हैं। ऐसे 16000 कर्मचारी थे, निदेशक पर्षद के लोगों ने निर्णय लिया हैं कि हम 800 को नियमित करेंगे और साथ–साथ 800 को विभिन्न विभागों को सूचना भेज देते हैं कि उन कर्मचारियों को नियमित करे। अभी तक जिन कर्मचारियों को रखा हैं, कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यह प्रयत्न कर रही हैं कि

निर्धारित वेतनमान जो हैं वह मिले ।

श्री कर्पूरी ठाकुर : राज्य मंत्री एक महिला हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उनको कठघरे में खड़ा करुं । मैं कल ही जाकर हाई–कोर्ट में कोर्ट ऑफ क्टेम्पट करता हूँ ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या नेता विरोधी दल असेम्बली के प्रोसिडिंग पर कोर्ट ऑफ क्टेम्पट कर रहैं हैं?

श्री कर्पूरी ठाकुर : चूँकि आप नहीं मान रहैं हैं, इसलिये हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ क्टेम्पट करुँगा और रामाश्रय बाबू ने इसमें इन्टरभिन किया हैं, इसलिये इनका भी नाम आयेगा।

(सदन में हंसी)

श्री उमाधार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने समझौता की बात कही और श्री कर्पूरी ठाकुर, नेता विरोधी दल ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कही। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार का यह नियम नहीं हैं कि यदि कोई आदमी 240 दिन तक लगातार काम करते हैं तो उन्हैं नियमित कर दिया जाता हैं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : 240 दिन का प्रावधान हैं, इसमें हैं कि रिक्ति के अनुसार 240 दिन जो काम किये हैं, उनकी वरीयता के अनुसार, रिक्ति के अनुसार उनकी सेवा नियमित की जाय।

श्री रघुनाथ झा : क्या यह बात सही हैं कि दिनांक 27–7–81 को श्रम मंत्री के कक्ष में समझौता हुआ था–क्या वह भी जोर–जबर्दस्ती से हुआ था? क्या सरकार यह बतलायेगी?

श्रीमती सुशीला करकेट्टा : मैंने कहा कि विचार–विमर्श हुआ था, समझौता नहीं हुआ था।

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, इनके कागज को स्वयं देखिये और देखकर जरा इनको डाँटिये तो। ये गलत बयानी कर रही हैं, इनको आप स्वयं देखिये।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आप भी देखने से भागते नहीं हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (नवीनगर) : मैं जानना चाहता हूँ कि श्री कर्पूरी ठाकुर ने जिस प्रश्न की बात उठायी हैं, वह जजमेंट विभाग में पहुँचा हैं या नहीं ।

श्री कर्पूरी ठाकुर : यह कंस्टीच्युशन बैंच का जजमेंट हैं ।

अध्यक्ष : इसमें कुछ कंफ्रयूजन हैं। इसमें दो बातें हैं। पहली बात हैं कि एक समझौता हुआ जिस पर राज्य मंत्री ने कहा हैं कि समझौता नहीं बल्कि बातचीत हुई थी। दूसरा विन्दु इससे अलग उठाया गया हैं, जो बहुत व्यापक हैं और सिद्वांत की बात हैं और कहा गया हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हैं, जिसे विरोधी दल के नेता ने उठाया हैं। अगर इस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ हैं तो यह सिर्फ इसी विभाग पर लागू नहीं होगा बल्कि सभी विभाग के इस तरह के केस पर लागू होगा। इस प्रश्न को कंफाइन करते हुए यह स्पष्ट नहीं हो रहा हैं कि यह समझौता था कि बातचीत थी।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (बेलखण्ड) : अध्यक्ष महोदय, चतुर्थ और तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के साथ मजदूर जैसा व्यवहार होता

हैं। ये भारत सरकार को लिखते हैं कि अब कोई बंधुआ मजदूर नहीं हैं और स्वयं बंधुआ मजदूर रखते हैं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : वह विन्दु समझौता था या क्या था। इस पर बातें हुयी हैं। राज्य मंत्री ने भी कहा हैं। इसमें कागजात को देखकर मैं बताऊँगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर : जब वार्ता हुयी तो गर्भाधान हुआ, गर्भाधान का नतीजा क्या निकला या गर्भपात हुआ। आप इसे देखें ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : इस केस में इलीगल गर्भाधान हुआ जिसे दो दिनों के बाद गर्भपात कराया गया।

(हँसी)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या – 2426 इस विभाग से स्थानान्तरण हो गया हैं, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में ।

एक सदस्य : फिर यह कब आयेगा ।

अध्यक्ष : जिस दिन उस विभाग का समय आयेगा ।

सूत की आपूर्त्ति :

2427. **श्री रघुपति गोप** : क्या मंत्री, हस्तकरघा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही हैं कि भोजपुर जिलान्तर्गत चरपोखरी प्रखण्ड के चान्दी, गडहनी बुनकर सहयोग समितियां काफी मात्रा में मोटा कपड़ा तैयार करती थी;

2. क्या यह बात सही हैं कि सूत आपूर्त्ति के अभाव में उक्त संहयोग समितियों का बुनाई कार्य जनवरी 1985 से ही बन्द हैं;

3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त समितियों को पर्याप्त मात्रा में सूत आपूर्त्ति करने का विचार रखती हैं, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री खालिद रशीद सवा : 1. उत्तर स्वीकारात्मक हैं।

2. उत्तर नकारात्मक हैं। यह समिति मृत प्रायः हैं और इसका कारोबार 2.1.77 से ही बंद हैं ।

3. समिति मृत प्रायः हैं पर इसे पुनर्जीवित करने की कार्रवाई की जा रही हैं। साथ ही स्थानीय बुनकरों को अपने कार्य हेतु सूत उपलब्ध हो इसलिए हस्तकरघा निगम को निदेश दिये गये हैं कि वे बुनकरों को सीधे सूत उपलब्ध कराये ।

श्री रघुपति गोप : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि उन बुनकर सहयोग समितियों को सूत नहीं मिलने के कारण उनका कारोबार बंद हैं, इस संबंध में सरकार कौन–सी कार्रवाई की हैं ?

श्री खालिद रशीद सवा : ये बनुकर सहयोग समितियाँ बंद हैं। इनको नियमानुसार रीऔर्गनाइज होना चाहिए था और इसके लिये इन सोसाइटियों ने अपना सम्बन्धन नहीं कराया हैं। उन बुनकरों की हालत को देखकर सरकार ने आदेश हस्तकरघा निगम को दे दिया हैं कि उनको राहत पहुँचाया जाय ।

श्री रघुपति गोप : वे सोसाईटीयाँ मरी नहीं हैं लेकिन उनको सूत नहीं मिल रही हैं ।

अध्यक्ष : मंत्री ने कहा कि वे बंद हैं और उन्होंने अपना सम्बन्धन नहीं कराया हैं, इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य को जानकारी कोई हो तो वे उनको दे दें ।

श्री रघुपति गोप : अध्यक्ष महोदय, वहाँ की सोसाइटीज मरी नहीं हैं, वहाँ की सोसाईटीज की बैठकें हुआ करती हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य जो कह रहैं हैं उसको आप (मंत्री) देख लें कि वह सूत के अभाव में बंद हैं या अपने कारणों से बंद हैं।

श्री खालिद रशीद सवा : ठीक हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर : सूत के अभाव में वे बंद हैं, उनका कारोबार बंद हैं। सूत की आपूर्त्ति जल्द से जल्द कराके उसको आप खोलवा देंगे या नहीं?

श्री खालिद रशीद सवा : खोलवा देंगे।

चकबन्दी के आधार पर दखल :

2428. **श्री रामाश्रय ईश्वर** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

1. क्या यह बात सही हैं कि समस्तीपुर जिला के इन्द्रवारा 33612 गांव का चकबन्दी कार्य पूरा हो गया हैं तथा तीन वर्ष पहले भू–धारियों को खतियान का भी विधिवत् आवंटन कर दिया गया हैं;